अज अदालत.....मुकाम.....

.....हरचन्द.....बनाम.....मंगत राम.....

किस्म मुकदमा.....228 आर.टी.एक्ट.....नं.....सन् 53/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.12.19	पत्रावली बाद जांच रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील मियाद बाहर पेश की गई है अतः सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज पंजिका की जावे। पत्रावली उपखण्ड अधिकारी रामगढ के कोर्ट कैम्प के निर्णय दिनांक 10.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। अभि. अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 310 रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम नंगला चिरावडा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। अपीलांट की खातेदारी की आराजी है जिस आराजी से रेस्पो0 मंगतराम का कोई ताल्लुक व सरोकार किसी किस्म का नही है।तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ द्वारा दिनांक 09.12.2014 को अपीलांट के खिलाफ एकपक्षीय आदेश जारी कर उभयपक्ष को रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति रखने के आदेश जारी कर दिये। कैम्प कोर्ट में दिनांक 10.05.2018 को दोनों पक्षकार वादी एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति दर्ज करते हुये न्यायालय द्वारा जारी किया गया उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश कन्फर्म कर दिया जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। उक्त गलत आदेश के कायम रहने से हम अपीलांट को नापूर्ति होने वाला नुकसान होने की संभावना है जबकि प्राईमाफेसी केस व बैलेन्स ऑफ कन्वीनेन्स रेस्पो0/प्रतिवादी के पक्ष में है। चंकि तहत अदालत द्वारा उक्त आदेश अपीलांट को बिना सुने, उभयपक्ष की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया। हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया। बहस पर मनन करने उपरान्त हम ये आदेश देना उचित समझते हैं कि तहत अदालत द्वारा उभयपक्षकार की अनुपस्थिति में, सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है। जो विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी रामगढ के आदेश दिनांक 10.05.2018 को निरस्त किया जाता है। उक्त अपील को तहत अदालत में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये विधिसम्मत अपना निर्णय पारित करें।आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। जामु	